उत्तर प्रदेश शासन

राज्य योजना आयोग-2

(नियोजन विभाग)

संख्या- 9/2017(/17)3/2/35-आ0-2/2016 -20

लखनऊ: दिनांक : 28 अगस्त, 2017

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 3/2017 बी-1- 348/दस-2017-231/2017, दिनांक 20 मार्च, 2017 द्वारा राज्य योजना आयोग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2017(1178/17)3/2/35-आ0-2/2016-20 दिनांक 20 अप्रैल, 2017 एवं शुद्वि पत्र संख्या-(2476/17)3/2/35-आ0-2/2016-20 दिनांक 24 अगस्त, 2017 में लेखानुदान के अन्तर्गत 05 माह हेतु निर्गत स्वीकृतियों की धनराशि रू0-65.00 लाख (रू0 पैसठ लाख मात्र) को घटाने/समायोजित करते हुए वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यलय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 3 अगस्त, 2017 में निर्गत शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये आय-व्ययक के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि रू0-98.86 लाख (रू0-अट्ठान्बे लाख छियासी हजार मात्र) को नियोजन विभाग की अनुदान संख्या-40, लेखाशीर्ष-2402मृदा तथा जल संरक्षण-103-भूमि सुधार तथा विकास-04-राज्य भूमि उपयोग परिषद के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में निम्नलिखित विवरण के अनुसार आंवटित कर व्यय हेतु राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते है:-

<u>अनुदान संख्या-40,</u>

लेखाशीर्ष-2402-मृदा तथा जल संरक्षण (धनराशि लाख रूपये में)

मद संख्या	मद नाम	वित्तीय वर्ष 2017 -2018 हेतु आबंटित कुल आय-व्ययक	वित्तीय वर्ष में लेखानुदान के अर्न्तगत 05 माह हेतु स्वीक़तियों धनराशि	वित्तीय वर्ष 2017-18 में लेखानुदान की धनराशि को घटाने / समायोजन के उपरान्त आंवटित धनराशि
1	2	3	4	5
01	वेतन	128.50	53.50	75.00
03	मंहगाइ भत्ता	7.71	2.65	5.06

http:///shashnadesh.up.nic.in

04	यात्रा व्यय	1.00	0.40	0.60
06	अन्य भत्ते	8.00	3.30	4.70
07	मानदेय	4.20	1.75	2.45
08	कार्यालय व्यय	0.50	0.20	0.30
11	लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	0.35	0.10	0.25
13	टेलीफोन पर व्यय	0.40	0.25	0.15
15	गाडियो का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1.00	1.00	0.00
42	अन्य व्यय	1.00	शून्य	1.00
44	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.10	शून्य	0.10
45	अवकाश यात्रा व्यय	0.50	शून्य	0.50
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	0.75	0.50	0.25
49	चिकित्सा व्यय	1.80	1.25	0.55
51	वर्दी	0.30	0.10	0.20
52	पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	7.75	शून्य	7.75
	योग:-	163.86	65.00	98.86

(रू0 अटठान्बे लाख छियासी हजार मात्र)

उक्त धनराशि निम्ननिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय की जायेगी ।

1 - विभिन्न अनुदानों के अन्र्तगत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवण्टन एवं आवण्टित/वितरित धनराशि के समक्ष किये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1195/दस16/94 दिनांक 06 जून 1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चितकिया जाय।

http://shashnadesh.up.nic.in

2 -व्यय प्रबन्ध एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारीआदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औख्त्यि के मानकों ्(स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

3- आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा काषागार से धनराशि का आहरण तत्काल व्यय/भुगतान की आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

4-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप दिनपांक 03 अगस्त 2017 में दिये गये निर्देशो/शर्तो का अनुपालन किया जायेगा ।

5- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिका आधार मिलान कार्यालय महालेखकार इलाहाबाद उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यता कराया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सतयापित विवरण नियोजना अनुभाग-1 को प्रेषित किया जायेगा।

2- मानक मद-14 मोटर गाडियों का क्रय के अर्न्तगत बजट प्रावधानसे सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृत वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जाने के संबंध में सुस्पष्ट प्रस्ताव यथासमय/आवश्यकतानुसार उपलबध करायाजायेगा।

3- वित्त विभा के शसनादेश संख्या- 67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04 (एम) /2016 दिनांक 22 दिसम्बर 2016 के प्रस्तर-10 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार पुररीक्षित वेतन के अवशेष के 50 प्रतिशित का भुगतान माह अक्टूबर 2017 से पूर्व नही कियाजाना है। अत: मानक मद 52-पुररीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) में प्राविधनित धनराशि को अक्टूबर 2017 से पूर्व कोषागार से आहरित नही किया जायेगा।

4- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्ष-2402-मदा तथा जल संरक्षण-103- भूमि सुधार तथा विकास-04- राज्य भूमि उपयोग परिषद के अर्न्तगत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा

5- यह आदेश वित्त आय व्ययक अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03 अगस्त 2017 में दिये गये निर्देशानुसार जारी किये जा रहें है

पी0एन0 त्रिपाठी

विशेष सचिव ।

http://shasnadesh.up.nic.in

संख्या-9/2017/(/17)3/2/35-आ0-2/2016-20

प्रतिलिप निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट), प्रथम उ0 प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद

3- महालेखाकार (लेखा एवं हकादारी) द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद

4- वरिष्ठ आडिट अधिकारी (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठा भवन 15, थार्नहिल रोड इलाहाबाद

5 मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ को वित्त आय व्यय अनुभाग 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 3 अगस्त, 2017 के संबंध में

6 अनुभाग अधिकारी लेखा नियोजन सचिव शाखा, नियोजन विभाग

7 **वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1**

8 **वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5**

9 **आहरण वितरण अधिकारी राज्य योजना आयोग ।**

10 **नियोजन अनुभाग-1**

11 अपर निदेशक, भूमि उपयोग परिषद उ0प्र0 लखनउ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सेन्टल सर्वर पर बजट फीडिंग का कार्य वित्तीय सांख्यकीय निदेशाालय जवाहर भवन के सहयोग से भूमि उपयोग परिषद द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

12 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(देशराज सिंह)
अनु सचिव ।

http:///shashnadesh.up.nic.in